

**प्रेस-विज्ञप्ति**  
**थाना-अहरौला**

**जहरखुरानी करने वाला अभियुक्त अवैध डायजापाम के साथ व उसका साथी अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के द्वारा चोर लुटेरे, बदमाश वांछित वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) , एवं क्षेत्राधिकारी बूढनपुर व थानाध्यक्ष अहरौला जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर हाइवे ब्रीज फुलवरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ से अभियुक्त राजकुमार मिश्रा उर्फ डी0एम0 पुत्र भिरगूनाथ मिश्र साकिन पकरौल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 86 ग्राम नशीला पदार्थ डायजापाम बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 136/2021 धारा 8/22 NDPS ACT थाना अहरौला आजमगढ़ तथा अभियुक्त आनन्द मिश्रा पुत्र स्व0 संतोष मिश्रा साकिन पकरौल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 0.315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 137/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ है। जिसकी विवेचना उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य द्वारा सम्पादित की जा रही है।

नोट:- अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हाइवे ब्रीज फुलवरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ से समय करीब 10.10 बजे की गयी। पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगणों से पुछताछ पर जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी सफाई मा0न्यायालय में देना बता रहे है।

**पंजीकृत अभियोग-**

- 1- मु0अ0सं0 136/2021 धारा 8/22 NDPS ACT थाना अहरौला आजमगढ़
- 2- मु0अ0सं0 137/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. आनन्द मिश्रा पुत्र स्व0 संतोष मिश्रा साकिन पकरौल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. राजकुमार मिश्रा उर्फ डी0एम0 पुत्र भिरगूनाथ मिश्र साकिन पकरौल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

**बरामदगी-**

- 1-आनन्द मिश्रा पुत्र स्व0 संतोष मिश्रा साकिन पकरौल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद तमंचा 0.315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ
- 2- अभियुक्त राजकुमार मिश्रा उर्फ डी0एम0 पुत्र भिरगूनाथ मिश्र साकिन पकरौल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 86 ग्राम नशीला पदार्थ डायजापाम बरामद हुआ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1- थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल , थाना अहरौला आजमगढ़
- 2- उ0नि0 श्री प्रभात चन्द पाठक, थाना अहरौला आजमगढ़
- 3- उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह, हे0का0 सतेन्द्र यादव, का0जितेन्द्र कुमार, का0 सुरेश सिंह थाना अहरौला आजमगढ़

**थाना-रौनापार**

**अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध असलहे की बरामदगी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 11.09.2021 को उ0नि0/चौकी प्रभारी महुला थाना रौनापार उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर काखभार चौराहा बहद ग्राम काँखबार के पास से समय करीब 06.35 बजे अभियुक्त शहनवाज पुत्र रफीउल्लाह निवासी पटहेरवा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा.12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 161/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग**

मु0अ0सं0 161/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त**

शहनवाज पुत्र रफीउल्लाह निवासी पटहेरवा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।

**बरामदगी**

एक अदद तमंचा नाजायज .12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1. उ0नि0 श्री मदन कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 2.का0 संदीप शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

## थाना मुबारकपुर

### सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

दिनांक – 10.09.2021 को उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि समय 05.00 बजे शाम को यासीर अरफात पुत्र इरशाद अहमद निवासी पुरारानी उम्र करीब 20 वर्ष चौकी पर आकर बताया कि साहब अभी कुछ देर पहले इस्लामिया हास्पिटल मुहल्ला पुराखिजिर के पास दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आकर मेरी साइकिल को रोककर मुझे साम्प्रदायिक व धर्म विशेष टिप्पणी करते हुए मेरी दाढ़ी को पकड़कर गाली देते हुए मुझे मारने पीटने लगे व मुझे चाकू मारने लगे जिससे मेरा कुर्ता फट गया और मेरा मोबाइल टुट गया काफी प्रयास के बाद मेरी जान बच पायी है साहब वो दोनो व्यक्ति माथे पर चन्दन लगाये थे और हाथ मे कड़ा पहने थे और लाल रंग के गमछे से अपना मुह ढके थे। इस घटना को जानकर चौकी प्रभारी अपने हमराहियों के साथ घटनास्थल पर पहुचकर आस पास के कई लोगो से यासीर द्वारा बतायी गयी घटना के सम्बन्ध मे जानकारी की तो आस पास के व्यक्तियों द्वारा घटना को असत्य व निराधार बताया गया फिर भी चौकी प्रभारी द्वारा आस पास CCTV फुटेज को देखा गया तो कही भी इस प्रकार घटना का होना नहीं पाया गया। फिर उक्त व्यक्ति को अकेले मे ले जाकर पूछा गया तो बताया कि साहब मैने करीब 5 महिने पहले कमरुल हक नामक व्यक्ति से 3600रु लिया था। जो पुरादुल्हन का रहने वाला है जो काफी दिनों से से पैसा माँग रहा था। मै कमरुल को पैसा नहीं दे पा रहा था तो मैने सोचा कि अपने आप को चाकू मारकर और झूठी कहानी बनाकर आस पास के लोगो की संवेदना भी मिल जायेगी और कस्बे का माहौल भी बिगड़ जायेगा जिससे मै पैसा देने से बच जाऊंगा। उक्त व्यक्ति की बातो को सुनकर घटनास्थल पर मौजूद सैकड़ो लोगो के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा दी गयी गलत सूचना का खंडन करके सत्यता को बताया गया व लोगो से शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतू अपील की गयी। कि इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में –

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री एस0पी0 सिंह के नेतृत्व में** थाना मुबारकपुर पुलिस टीम को धरातलीय एवं इलेक्ट्रानिक अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के दौरान ज्ञात हुआ कि कल दिनांक- 10.09.2021 को थाना मुबारकपुर कस्बा का धार्मिक व सामाजिक सौहार्द विगाड़ने की कोशिश में था, जो मौके से फरार हो गया था वह व्यक्ति कही भागने की फिराक में है जिसको मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा रोडवेज चौराहे के पास आज दिनांक- 11.09.2021 को समय 10.30 बजे अभियुक्त यासीर अरफात पुत्र इरशाद अहमद निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया।

#### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0- 174/2021 धारा 153ए,505बीभा0द0वि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -**

यासीर अरफात पुत्र इरशाद अहमद निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तारी का दिनांक-**11.09.2021 समय 10.30 बजे **स्थान-** रोडवेज चौराहा

**पूछताछ का विवरण –** पूछने पर अभियुक्त यासीर अरफात पुत्र इरशाद अहमद निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बता रहा है कि करीब 5 महिने पहले कमरुल हक नामक व्यक्ति से 3600रु लिया था जो पुरादुल्हन का रहने वाला है जो काफी दिनों से से पैसा माँग रहा था। मै कमरुल को पैसा नहीं दे पा रहा था तो मैने सोचा कि अपने आप को चाकू मारकर और झूठी कहानी बनाकर आस पास के लोगो की संवेदना भी मिल जायेगी और कस्बा मुबारकपुर का माहौल भी बिगड़ जायेगा जिससे मै पैसा देने से बच जाऊंगा साहब गलती हो गयी है माफ कर दिजिये।

#### **गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण –**

1. उ0नि0 रत्नेश कुमार दुबे चौकी प्रभारी कस्बा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 रविन्द्र कुमार सिंह चौकी कस्बा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़